बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
आदेश

पटना, दिनांक 19-01-2026

संचिका संख्या–13/मु0–09–89/2025.....68...../ माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0सं0–15793/2025 राम एकबाल पासवान एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 21.11.2025 को निम्नांकित आदेश पारित किया गया है:–

"Heard learned counsel for the petitioner and learned counsel for the State.

2. Respondent no. 3 is directed to take final decision with regard to claim of this petitioner, which has been indicated in para-1 of the writ petition and all necessary steps shall be taken to ensure payment of all admissible amount to this petitioner, within a period of six weeks and appropriate affidavit shall be filed for further consideration of this Court, on the next date of hearing.

3. List this case on 23.01.2026.

माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में याचिकाकर्ताओं के दावों की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि याचिकाकर्ताओं के द्वारा भूतपूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक के रुप में किये गये कार्य के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में समूह 'घ' के रिक्त पद पर समायोजन/नियुक्ति का लाभ प्राप्त कर लिये जाने के उपरांत अपनी अनुदेशक के रुप में किये गये पूर्व की सेवा की गणना कर पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत सेवान्त लाभ के भुगतान किये जाने हेतु याचिका दायर की गई हैं। याचिकाकर्त्ताओं के द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0सं0–7231/2012 रेखा झा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 04.10.2017, एल0पी0ए0 189/2018 बिहार राज्य एवं अन्य बनाम रेखा झा एवं अन्य में दिनांक 20.06.2018 को पारित आदेश का हवाला देते हुए पूर्व की सेवा की गणना कर पुरानी पेंशन का लाभ प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

याचिकाकर्ताओं के द्वारा प्रस्तुत याचिका में किया गया अनुरोध किसी भी प्रकार से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने माननीय न्यायालय के संज्ञान में पूर्ण तथ्य नहीं लाया है। अर्थात् प्रस्तुत मामला " Suppression of Facts " का स्पष्ट उदाहरण हैं और इसी आधार पर माननीय न्यायालय के द्वारा याचिका को खारिज किये जाने एवं याचिकाकर्ताओं के विरूद्ध पेनाल्टी लगाये जाने का पर्याप्त आधार भी बनता है। वस्तुतः यह मामला "Employeer-Employee" के बीच समायोजन की शर्तो का उल्लंघन भी है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं को सरकारी सेवा में समायोजित किये जाने संबंधी संकल्प संख्या 945 दिनांक 27.04.2017 एवं इनके समायोजन संबंधी अनुशंसा पत्र तथा नियोजन आदेश में भी इस तथ्य का स्पष्ट अंकन है कि समायोजित कर्मियों पर राज्य में प्रवृत नयी पेंशन योजना लागू होगी तथा पूर्व की मानदेय आधारित सेवा की गणना करने एवं उक्त आधार पर पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान करने का कोई अनुरोध विचारणीय नहीं होगा।

याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत मामले में एल0पी0ए0 189/2018 बिहार राज्य एवं अन्य बनाम रेखा झा एवं अन्य में दिनांक 20.06.2018 को पारित आदेश के आधार पर इन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने एवं पूर्ण की मानदेय आधारित सेवा की गणना करने का अनुरोध किया है। जबकि सही तथ्य यह है कि उक्त एल0पी0ए0 में पारित आदेश को एस0एल0पी0 संख्या–4380/2019 में दिनांक 07.02.2020 को पारित आदेश से पहले ही अमान्य कर दिया गया है। इसके साथ ही अनौपचारिक शिक्षा के मानदेय पर्यवेक्षकों के द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0सं0–7231/2012 रेखा झा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 04.10.2017, एल0पी0ए0 189/2018 बिहार राज्य एवं अन्य बनाम रेखा झा एवं अन्य में दिनांक 20.06.2018 को पारित आदेश के अनुपालन हेतु दायर अवमाननावाद संख्या–662/2018 को दिनांक 31.07.2023 को पारित आदेश से खारिज किया जा चुका है। इन सभी तथ्यों को याचिकाकर्ताओं ने माननीय न्यायालय से जानबुझ कर छुपाते हुए अपूर्ण तथ्यों के आधार पर गलत लाभ प्राप्त करने की मंशा से प्रस्तुत याचिका दायर किया है।

ज्ञातव्य हो कि बिहार राज्य में वर्ष 1980–81 में 06–14 आयुवर्ग के ऐसे बच्चे जिन्हें औपचारिक शिक्षा उपलब्ध नहीं कराई गई थी, को साक्षर बनाने के लिए अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया था। अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत मानदेय पर्यवेक्षकों का समायोजन विभिन्न विभागों के अधीन तृतीय वर्ग के विधिवत स्वीकृत एवं रिक्त पदों पर विभागीय संकल्प संख्या 27 दिनांक 12.01.2010 के आलोक में राज्य सरकार द्वारा किया गया। इस आधार पर लगातार अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों के द्वारा भी समायोजन की मांग किये जाने हेतु माननीय न्यायालय में कतिपय वाद दायर किये गये।

उक्त मामले पर माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर एल०पी०ए० संख्या–1489/2011 एवं सिविल रिभ्यू संख्या–344/2016 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एस०एल०पी० संख्या–32079/2015 में पारित आदेश के आलोक में भूतपूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों को समायोजित करने हेतु माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में शर्ते निर्धारित करते हुए निर्धारित शर्तों का पूर्ण अनुपालन करने वाले भूतपूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों की वास्तविक संख्या तथा पहचान स्थापित करने के लिये सभी जिलों में जिला शिक्षा पदाधिकारी की अध्यक्षता में कमिटि का गठन किया गया एवं विभागीय संकल्प संख्या–945 दिनांक 27.04.2017 द्वारा भूतपूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक को नियुक्ति/समायोजित करने हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये, जिसमें कंडिका–'च' में प्रावधान है कि:–

(च) **संबंधित व्यक्तियों का समायोजन नई नियुक्ति के माध्यम से किया जायेगा तथा समायोजित पद के न्यूनतम प्रक्रम पर वेतन का भुगतान किया जायेगा। समायोजित व्यक्तियों पर राज्य में प्रवृत नयी पेंशन योजना लागू होगी तथा पूर्व की सेवा के आधार पर पुरानी पेंशन योजना का लाभ अनुमान्य नहीं किया जा सकेगा।**

उपरोक्त शर्त्त का स्पष्ट अंकण शिक्षा विभाग के स्तर से संबधित अनुदेशक को समायोजन के माध्यम से नियुक्त किये जाने के लिये अनुशंसित करने से संबंधित पत्र में अंकित रहता है और सामान्यतः नियोक्ता के स्तर से निर्गत किये जाने वाले नियुक्ति पत्र में भी इस आशय का स्पष्ट अंकण होता है। समायोजन के माध्यम से नियोजन का

दावा प्रस्तुत किये जाने के समय ही समायोजन से संबंधित सभी प्रकार की शर्त्तों का अनुपालन किये जाने के संबंध में संबंधित अनुदेशक से शपथ पत्र प्राप्त किया जाता है। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि समायोजित कर्मियों के सेवा/सेवांत लाभ के भुगतान पर समुचित कार्रवाई संबंधित विभाग/कार्यालय के नियंत्री पदाधिकारी/कार्यालय प्रधान के द्वारा किया जाता है। अधोहस्ताक्षरी की इसमें कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है।

अंकनीय है कि एस0एल0पी0 सं0–4380/2019 में दिनांक 07.02.2020 को आदेश पारित किया गया है जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है:–

"Since the appellants were absorbed as fresh appointees without pay protection and seniority, as a consequence thereof, they **will not be entitled to count their past service rendered under the Project for the purpose of pension**. We, thus, do not find any error in the order passed by the High Court which may warrant interference in the present appeals. Accordingly, the appeals are dismissed."

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनौपचारिक शिक्षा के मानदेय पर्यवेक्षकों को सेवा/सेवानिवृत्तिय लाभ की स्वीकृत्ति के क्रम में पूर्व की सेवा की गणना अनुमान्य न होने का न्यायादेश पारित किया है। पारित न्यायादेश के आलोक में शिक्षा विभाग के मुखर आदेश संख्या 985 दिनांक 24.06.2020 के द्वारा अनौपचारिक शिक्षा के मानदेय पर्यवेक्षकों को पूर्व की सेवा की गणना एवं पुरानी पेंशन योजना का लाभ अनुमान्य नहीं रहने के संबंध में आदेश निर्गत किया गया है। इस संबंध में अनौपचारिक शिक्षा के मानदेय पर्यवेक्षकों के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर M.A Application No. 712/2022 को भी माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 29.04.2022 को पारित आदेश से खारिज कर दिया गया है।

विदित हो कि अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत मानदेय पर कार्य करने वाले एवं कार्यक्रम बंद होने अथवा अन्य कारणों से सेवामुक्त होने वाले अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों की सरकारी सेवा में वेतनमान पर प्रथम नियुक्ति संकल्प संख्या 945 दिनांक 27.04.2017 के निर्गत होने के बाद ही की गई है। वर्ष 2017 से पूर्व इन मानदेय अनुदेशकों के द्वारा राज्य सरकार के अधीन नियमित रुप से स्वीकृत पद पर वेतनमान में कभी कार्य नहीं किया गया था। चूंकि अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों के नियुक्ति समायोजन के माध्यम से नई नियुक्ति मानते हुए वर्ष 2017 या उसके बाद की अवधि में किया गया है, जिस समय नई पेंशन योजना राज्य में लागू थी। अतएव अनौपचारिक शिक्षा के मानदेय अनुदेशकों को पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत किसी नियम के आधार पर किसी प्रकार का कोई लाभ स्वीकार नहीं किया जा सकता हैं। अर्थात् वर्ष 2005 में जबसे राज्य में नई पेंशन योजना लागू हुई है, उसके बाद की अवधि में नियुक्त होने वाले किसी भी नियमित राज्यकर्मी को पुरानी पेंशन योजना का लाभ स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार याचिकाकर्त्ता को पूर्व की सेवा की गणना के आधार पर पुरानी पेंशन योजना का लाभ अनुमान्य नही है।

उक्त मामले से संबंधित अवमाननावाद संख्या–662/2018 में दिनांक 31.07.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एस0एल0पी0संख्या–20469/2023 रेखा झा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में

दिनांक 22.07.2025 को पारित आदेश में याचिकाकर्ताओं को पूर्व की सेवा की गणना कर पुरानी पेंशन का लाभ स्वीकृत किये जाने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एस0एल0पी0संख्या–20469/2023 रेखा झा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 22.07.2025 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् हैः–

"1. We are not inclined to interfere with the impugned judgment and order passed by the High Court. The special leave petition is, accordingly, dismissed.

2. Pending application(s), if any, stand disposed of."

अतएव वर्णित स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0सं0–15793/2025 राम एकबाल पासवान एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 21.11.2025 को पारित आदेश के आलोक में मामले की सम्यक समीक्षोंपरांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एस0एल0पी0 सं0–4380/2019 एवं एस0एल0पी0संख्या–20469/2023 में पारित आदेश एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा अवमाननावाद संख्या–662/2018 में दिनांक 31.07.2023 को पारित आदेश तथा विभागीय आदेश संख्या 985 दिनांक 24.06.2020 के साथ–साथ अनौपचारिक शिक्षा के मानदेय अनुदेशकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देय नही होने संबंधी पारित आदेश संख्या–490 दिनांक 15.03.2023 के आलोक में सी0डब्ल्यू0जे0सी0सं0–15793/2025 के सभी याचिकाकर्ताओं के पूर्व की मानदेय आधारित सेवा की गणना करने एवं उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ प्रदान करने संबंधी दावों को एतद् द्वारा अस्वीकृत किया जाता है।

Vijay 19/1/26

(विजय कुमार)

निदेशक, जन शिक्षा–सह–अपर सचिव।

ज्ञापांक–13/मु0–09–89/2025...68.../ पटना, दिनांक 19-01-2026

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, दरभंगा/जिला शिक्षा पदाधिकारी, दरभंगा/ सी0डब्ल्यू0जे0सी0सं0–15793/2025 राम एकबाल पासवान एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के सभी याचिकाकर्ताओं तथा आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Vijay 19/1/26

निदेशक, जन शिक्षा–सह–अपर सचिव।